

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण प्रकरण संख्या 218/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एस. आर. जी. हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड, पता 321, एस.एम. लोधा कॉम्प्लेक्स, नियर शास्त्री सर्किल, उदयपुर पंजीकृत कार्यालय 1046, 10वां तल, हबटाउन, सोलरिस, एन. एस. पाडके मार्ग, विजय नगर, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती संतोष परेवा पत्नी श्री सुरेश परेवा
2. श्री सुरेश चन्द परेवा पुत्र श्री कालू राम परेवा
3. श्री मनीष परेवा पुत्र श्री सुरेश परेवा

पता :- ए-193, लक्ष्मी नारायणपुरी, भुवनेश्वरी वाटिका, ग्राम दयालपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर।

4. श्रीमती मोनिका सिंह पुत्री श्री राजपाल सिंह

पता :- 192/101, प्रताप नगर, सेक्टर-19, तहसील सांगानेर, जयपुर।



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

1. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 25.11.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 28.09.2020 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती संतोष परेवा के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नम्बर 12, ग्राम दयालपुरा, वाटिका रोड, भुवनेश्वरी वाटिका योजना तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 62.35 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 04,50,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 04,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 03,77,520/- रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 06.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती संतोष परेवा के स्वामित्व की बन्धक संपत्ति प्लॉट नम्बर 12, ग्राम दयालपुरा, वाटिका रोड, भुवनेश्वरी वाटिका योजना तहसील सांगानेर, जयपुर क्षेत्रफल 62.35 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 25.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलकट) जयपुर (ग्रामीण)